न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
ऑगनवाड़ी वाद संख्या–123/09–10
बिन्दु देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30.12.2016	**आदेश** आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता का वाद आवेदन में कथन है कि प्रश्नगत वाद आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रीट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14090/2007 में पारित आदेश दिनांक–18.12.2009 के आलोक में दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–134 ग्राम पंचायत शिवराम, प्रखण्ड–बेनीपुर के आँगनवाड़ी सेविका पद पर चयन से संबंधित आहूत आम सभा दिनांक–23.03.2005 में लिए गये निर्णयानुसार आवेदिका का चयन किया गया लेकिन उन्हें चयन पत्र निर्गत नहीं किया गया और न ही उन्हें प्रशिक्षण में ही भेजा गया। चयन पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित प्राधिकार में आपत्ति दी गई लेकिन उनके द्वारा दायर आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि संबंधित आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–134 पर पुनः वर्ष–2007 में नया विज्ञापन आँगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु प्रकाशित किया गया एवं सामान्य अनुक्रम में पुनः एक आम सभा दिनांक–28.05.2007 को आहूत की गई एवं एक अन्य आवेदिका श्रीमती रूपा देवी का चयन किया गया, जो विधि विरूद्ध है। उक्त चयन एवं उन्हें चयन पत्र नहीं निर्गत करने के परिपेक्ष्य में आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रीट याचिका संख्या–14090/2007 दायर किया एवं पारित आदेश दिनांक–18.12.2009 के अनुरूप वर्त्तमान वाद का निर्णय होना है। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि संबंधित आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–134 पर आम सभा दिनांक–28.05.2007 से आँगनवाड़ी सेविका पद पर श्रीमती रूपा देवी का चयन गलत है जिसे निरस्त करते हुए आवेदिका का चयन पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख आधारित तथ्य से यह स्पष्ट है कि आवेदिका के चयन से संबंधित आम सभा 23.03.2005 अपने आप में संदिग्ध है क्योंकि संबंधित आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–134 पर सेविका पद पर चयन हेतु एक विवरणी तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेनीपुर के पत्रांक–65 दिनांक–09.05.2007 से प्रस्तावित की गई एवं तद्नुकुल सभी इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त कर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। एवं तद्नुकुल सभी इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त कर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। ज्ञातव्य हो कि आवेदिका बिन्दु कुमारी उर्फ बिन्दु देवी भी उक्त विज्ञापन के अनुरूप अपना आवेदन आँगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु प्रस्तुत की है। आम सभा दिनांक–28.05.2007 के कार्यवाही पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका बिन्दु देवी का मेधा अंक तृतीय स्थान पर हैं। उक्त आम सभा के निर्णय के अनुरूप एक अन्य अभ्यर्थी रूपा देवी का चयन हुआ है। चयनोपरांत आवेदिका द्वारा विभिन्न स्तरों पर आपत्ति आवेदन दिया गया एवं सामान्य अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी एक सामान्य अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी एक रीट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14090/2007 दायर किया गया। सरकारी विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदिका बिन्दु देवी द्वारा कथित प्रथम आम सभा दिनांक–23.03.2005 से लेकर द्वितीय आम सभा दिनांक–28.05.2007 तक कहीं कोई आपत्ति आवेदन किसी भी पदाधिकारी के समक्ष नहीं दिया गया है। उक्त कथन का समर्थन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेनीपुर दरभंगा के पत्रांक–25.10.2011 से किया गया है।	

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदिका का कथित चयन संदिग्ध है एवं उनके वाद आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

अभिलेख का गहन परिशीलन किया। अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेनीपुर के कार्यालय पत्रांक–65 दिनांक–09.05.2007 के अनुरूप आवेदिका द्वारा संबंधित आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–134 के आँगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन दिया गया एवं सामान्य अनुक्रम में आहूत आम सभा दिनांक–28.05.2007 में लिए गये निर्णय से क्षुब्ध होकर कथित आम सभा दिनांक–23.03.2005 के आलोक में आपत्ति आवेदन दिया गया। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क/ कथन आधार तत्व के अनुरूप समीचीन प्रतीत होता है। अगर आवेदिका का चयन आहूत आम सभा दिनांक–23.05.2005 से हो गया था, तो आवेदिका द्वारा उसी आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–134 पर आँगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु किस परिस्थिति में पुनः आवेदन समर्पित किया गया। बहस के सामान्य अनुक्रम में संबंधित परिस्थिति को स्पष्ट करने में आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता विफल रहे हैं और अभिलेख पर भी इस तथ्य का कोई स्पष्ट फलाफल इंगित नहीं है।

अतः सम्यक रूप से विचारोपरांत आवेदिका का वाद आवेदन को अस्वीकृत किया जाता हे।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14090/2007 (बिन्दु देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक–18.12.2009 को पारित आदेश के अनुपालन में यह वाद निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक ______ /जिला विधि, दिनांक ______ /17

प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेनीपुर को आदेश की प्रति की भांति निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई०सी०डी०एस०, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजी।

ह०/-
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।

ज्ञापांक 73 /जिला विधि, दिनांक 11-01-17

प्रतिलिपि :- विज्ञान प्रावैधिकी प्रबन्धक, एन०आई०सी०, दरभंगा को सूचनार्थ तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

11/01/17
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।
10/1/17